NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No :210/NCRES/20 Date : 29.10.2020

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– रात्रि भत्ता के भुगतान सम्बन्धी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 83/2020 दिनांक 29.9.2020

महोदय,

अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या RBE-83/2020 दिनांक 29.9.2020 के द्वारा दिनांक 1.7.2017 से रात्रि डियूटी भत्ते के भुगतान के लिये मूल वेतन की अधिकतम सीमा 43600/–रू निर्धारित कर दिया है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने तुरन्त रिकवरी करने का कोई स्पष्ट आदेश जारी नही किया इसके बावजूद प्रयागराज मंडल ने पत्र सं. 47/A/cs/Estt./misc/01 दिनांक 8.10.2020 द्वारा और झांसी मंडल ने अपने पत्र सं. AC/JHS/ENG/Misc दिनांक 6.10.2020 द्वारा दिनांक 1.7.2017 से भुगतान किये गये रात्रि भत्ते की रिकवरी करने का आदेश जारी कर दिया है जिससे कर्मचारियों में बेहद रोष व्याप्त है और कर्मचारी रात्रि में कार्य नही करना चाहते जिसके कारण रेल संरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

यह भी अवगत कराना है कि केन्द्र सरकार के अन्य संस्थानों से रेलवे की कार्य प्रणाली अलग है जिसके कारण रेल कर्मचारी 24 घन्टे पूरी निष्ठा एवं इमानदारी से चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सभी मौसम में कार्य करते हुये रात्रि में 22 बजे से 6 बजे तक किये गये कार्य के एवज में रात्रि ड्यूटी भत्ता प्राप्त करते रहे है और करना चाहते है।

यह भी अवगत कराना है कि रेलवे में रनिंग स्टाफ के रूप में गार्ड, ड्राइवर, टिकट चेकिंग स्टाफ सहित संरक्षा की रीढ़ माने जाने वाले ट्रैकमेन्टेनर कैटेगिरी एवं सिगनल, टेलीकाम, कैरेज एण्ड वैगन, टी.आर.डी विभाग इत्यादि के टेक्नीशियन एवं JE/SSE दिन मे कार्य करने के साथ रात्रि में भी पूरी तन्मयता एवं प्रवीणता से कार्य करते हैं ताकि रेलवे में बिना किसी बाधा के संरक्षित रेल परिचालन हो सके और रेलवे, संरक्षा के दृष्टि से दुर्घटना रहित होकर नया आयाम कायम कर सके।

इसके अतिरिक्त नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, कन्ट्रोलर ऐसे पद है जहां अधिक ग्रेड के जिम्मेदार कर्मचारियों को इसलिये पोस्ट करना पड़ता है ताकि रात्रि के समय

कोई समस्या आने पर तुरन्त उचित एवं सही निर्णय लिया जा सके जिससे रेल संचालन के संरक्षा एवं समयपालन पर कोई प्रभाव न पड़े।

यह भी गौर करने का विषय है कि कोविड–19 के दौरान भी जब सारा देश रूक गया था ये वही रेल कर्मचारी थे जिन्होने दिन/रात ड्यूटी कर आवश्यक सामग्रियों को माल एवं पार्सल ट्रेनो से देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाया था और जब उनके कार्य को पुरस्कृत करने का समय आया तो रेलवे बोर्ड द्वारा रात्रि भत्ते को रोक कर और झांसी मंडल एवं प्रयागराज मंडल द्वारा दिनांक 1.7.2017 से भुगतान किये गये रात्रि भत्ते की रिकवरी करने का आदेश दिनांक 6.10.2020 व 8.10.2020 को जारी कर उन्हें दण्डित करने का कार्य किया है जो उचित नही है।

इस सम्बन्ध में NFIR ने भी रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर फेडरेशन से वार्ता कर शीघ्र हल निकालने की अपील किया है, अतः NCRES का अनुरोध है कि NFIR द्वारा रेलवे बोर्ड में की गयी अपील को ध्यान में रखते हुये रेलवे बोर्ड द्वारा जारी RBE 83/2020 दिनांक 29.9.2020 का अनुपालन अभी स्थगित रखा जाय ताकि संरक्षा का कार्य प्रभावित न होने पाये।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री